

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित

बैतूल

विषय:-

शाखा रायआमला मरम्मत कार्य अन्तर्गत निविदा बाबत।

एप २६ में
मुलगाई में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक./-----
बैतूल दिनांक -----2024 मे प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार

शाखा रायआमला में मरम्मत कार्य हेतु निविदा प्रपत्र कय कर निविदा के नियम एवं शर्तों को मेरे द्वारा पढ. एवं समझ लिया गया है जिससे मै पूर्णतः संतुष्ट हूँ तथा निविदा के नियम एवं शर्त अनुसार कार्य करने के लिये सहमति प्रदान करता हूँ।

यदि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बैतूल द्वारा निविदा स्वीकार की जाती है तो निविदा की शर्तानुसार ई.एम.डी. राशि कार्य की अवधि समाप्ति तक बैंक के पास जमा रहेगी तथा फर्म द्वारा कार्य करने की असमर्थता की स्थिति मे ई.एम.डी. राशि बैंक द्वारा जप्त कर ली जावेगी, जिससे फर्म को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

धन्यवाद।

(टेण्डरकर्ता कम्पनी की सील एवं हस्ताक्षर)

पूर्ण पता :-

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,

बैतूल

विषय:- शाखा रायआमला की मरम्मत कार्य हेतु निविदा सूचना बाबत।

1. निविदा कर्ता का नाम

2. निविदा कर्ता का पूर्ण पता

3. फर्म का पंजीकरण संख्या एवं दिनांक

(छाया प्रति संलग्न करे)

4. फर्म का जीएसटी संख्या

(छाया प्रति संलग्न करे)

5. कार्यानुभव

(छाया प्रति संलग्न करे)

6. ई. एम. डी. राशि का विवरण

बैंक का नाम, राशि एवं दिनांक

7. मरम्मत कार्य की राशि एस.ओ.आर

दर से प्रतिशत में (प्रभावित एस.ओ.आर एम.पी.पी.डब्ल्यू.डी 01/01/24 15/09/22

संशोधित सहित)

(टेण्डरकर्ता कम्पनी की सील एवं हस्ताक्षर)

पूर्ण पता :-

संलग्न:-

1. निविदा के नियम एवं शर्तों का प्रपत्र।

(प्रपत्र 1)

निविदा हेतु नियम एवं शर्तें:-

1. कार्य का 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र सलंगन करना होगा।
2. निविदा कर्ता के पंजीयन/पेन कार्ड/जीएसटी अन्तर्गत किये गये रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र सलंगन करना आवश्यक होगा।
3. टेण्डरकर्ता का पेन कार्ड की छायाप्रति सलंगन करना आवश्यक होगा।
4. शाखा स्तर पर किये गये मरम्मत कार्य का संतुष्टि प्रमाण पत्र मय शाखा प्रबंधक से प्राप्त कर मुख्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
5. उक्त कार्य स्टीमेट अनुसार एवं समयावधि (कार्यदेश दिनांक से 45 दिन) में पूर्ण किया जाना होगा।
6. निविदा दरों के पृथक से बंद लिफाफे में राशि रुपये **विज्ञापित अनुसार** रुपये मात्र की ई.एम. डी.राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बैतूल के पक्ष में देय डी.डी. अथवा बैंक की शाखा में नगद जमा कर चालान की प्रति जमा कराना अनिवार्य होगी यदि बैंक द्वारा निविदा स्वीकार की जाती है तो ईएमडी राशि कार्य समाप्ति की अवधि तक बैंक के पास जमा रहेगी तथा निविदा कर्ता द्वारा कार्य की असमर्थता पर ईएमडी राशि बैंक द्वारा जप्त की जा सकेगी जिसमें निविदा कर्ता की किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय सर्वमान्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
बैतूल